

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/युगलपीठ/ — /2025 दि0 लखनऊ: दिसम्बर 16, 2025

:- संशोधित आदेश :-

मुख्यालय के आदेशांक 1364/2025 दिनांक 31-10-2025 के द्वारा माह दिसम्बर, 2025 में जनपद अयोध्या में युगलपीठ का गठन दिनांक 22-12-2025 से 23-12-2025 तक किया गया था। उपरोक्त युगलपीठ में न्यायिक सदस्य के रूप में सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1 लखनऊ को नामित किया गया था।

न्यायिक सदस्य, पीठ-1, लखनऊ के द्वारा पत्र संख्या 783 दिनांक 09-12-2025 से सूचित किया गया है कि वह दिनांक 22-12-2025 से 23-12-2025 तक जनपद अयोध्या में गठित युगलपीठ में अपरिहार्य कारणों से सम्मिलित होने में असमर्थ हैं।

उपरोक्त अपरिहार्य परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचार करते हुए, पूर्व निर्गत युगल पीठ गठन आदेश सं0 1364/2025 दिनांक 31-10-2025 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए, जनपद अयोध्या में युगलपीठ का गठन दिनांक 22-12-2025 से 23-12-2025 तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। उपरोक्त गठित युगल पीठ कार्यक्रम की शेष स्थिति यथावत रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

Sd/-16.12.2025

(रमेश चन्द-1)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/यु0पी0 संशो0/1551 /2025 दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-प्रथम, लखनऊ।
- 2- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-द्वितीय, कानपुर।
- 3- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, अयोध्या पीठ अयोध्या।
- 4- वैयक्तिक सहायक, अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक (यात्रामत्ता)/विवरण/वेव अधिकारी/नाजिर, मुख्यालय।

आज्ञा से,

निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।